Smt. Shanta Singh
Sr. Asstt. Prof.
Dept. of L.S.W.
SNSRKS College
Samara

समाज कल्याण के परिवर्तनशील उपागम
(Changing Approaches to Social Welfare)

समाज कल्याण की अवधारणा परिवर्तनशील रही है। सामाजिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में उसे विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा गया है। प्राचीन तथा मध्यकालीन युग में समाज कल्याण कार्य मुख्यतः दान या परोपकार की भावना से किया जाता था। बाद में 'कल्याणकारी राज्य' के विचार के प्रादुर्भाव के साथ, समाज कल्याण का मुख्य उद्देश्य समाज के अल्प सुविधा-प्राप्त व्यक्तियों की रक्षा तथा सामान्य नागरिकों की मूल-भूत सामाजिक समस्याओं जैसे निर्धनता, अशिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवास आदि के समाधान-हेतु राजकीय एवं सामूहिक प्रयास करना था। औद्योगी-करण के विस्तार तथा मजदूरी-अर्जकों के श्रमजीवी वर्ग की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप, समाज कल्याण के अन्तर्गत जीवन के खतरों जैसे वृद्धावस्था, प्रसूति, मृत्यु, बीमारी, दुर्घटना आदि के प्रति सामाजिक सुरक्षा को अवस्था पर अधिक जोर दिया जाने लगा। बाद में, सामाजिक सुरक्षा के स्थान पर सामाजिक सेवाओं समाज कल्याण का मुख्य विषय बना। आज विश्व के अनेक देशों में समाज कल्याण के अन्तर्गत 'कल्याणकारी समाज' की परिकल्पना अधिक व्यापक हो गई है। समाज कल्याण के विभिन्न उपागमों (approaches) तथा अवधारणाओं (concepts) की व्याख्या निम्नलिखित शीर्षकों में की जा सकती है:-

1. समाज कल्याण- दान या परोपकार के रूप में (Social Welfare as Charity and Benevolence).

समाज कल्याण के पीछे दान या परोपकार की भावना प्राचीन समय से ही सबसे प्रबल उत्प्रेरक का कार्य करती रही है। विभिन्न धर्मों के अन्तर्गत परोपकार या दान को धर्म का अंग माना गया है। प्रायः सभी प्राचीन धर्मों, विशेषकर हिन्दू, यहूदी, ईसाई, रोमन आदि धर्मों के उपदेशों में ईश्वर की कृपा प्राप्त करने तथा पारलौकिक जीवन

को सुखमय बनाने के लिए दानशीलता तथा परोपकार को व्यापक महत्व दिया गया है। प्राचीन सभ्यताओं में भी हम पाते हैं कि इसी धार्मिक भावनाओं से उत्प्रेरित होकर राजाओं, धनी-मानी व्यक्तियों तथा सर्वसाधारण लोगों ने भी दान-पुण्य के रूप में निर्धनों, विकलांगों, अनाथों तथा अन्य दीनों एवं दुखितों की सहायता की। अनेक स्थानों में धार्मिक संस्थाओं जैसे मठों, आश्रमों तथा विहारों में निर्धनों के लिए भोजन, वस्त्र, आवास आदि की व्यवस्था की गई। भारत में सदियों से तीर्थ-स्थानों तथा धार्मिक केन्द्रों में निर्धनों को सहायता दी जा रही है। धार्मिक उद्देश्य से किये गए समाज-कल्याण की एक मुख्य विशेषता यह है कि इसमें कल्याणकारी कार्य के पीछे दाता की महत्ता, तथा आत्म-संतोष की भावना सबसे प्रबल उत्प्रेरक का कार्य करती है।

मध्यकालीन युग में कई यूरोपीय देशों में दान का एक बड़ा उत्तरदायित्व पादरियों तथा स्थानीय पुरोहितों को सौंपा गया। कालान्तर में धार्मिक संस्थाओं द्वारा किये गए कल्याणकारी कार्य व्यापक होते गये। अनेक स्थानों में निर्धनों के लिए आश्रमों की स्थापना की गई। इनमें अनाथों वृद्धों, बीमारों तथा आकृतों के लिए कल्याणकारी कार्य किये जाते थे। धार्मिक उद्देश्य से किये गए इन कल्याण-कारी कार्यों के परिणाम स्वरूप भिक्षावृत्ति को व्यापक प्रोत्साहन मिला। बाद में कई दान केन्द्रों को अस्पतालों में परिवर्तित कर दिया गया। कालान्तर में, अस्पतालों की स्थापना में राज्य तथा धनी सम्पन्न व्यक्तियों के योगदान अधिक महत्वपूर्ण हो गये। सुधार आन्दोलन (Reformation Movement) के फलस्वरूप यूरोप में धार्मिक संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले कल्याणकारी कार्यों में अनेक परिवर्तन लाये गये तथा राज्य के सुधार-सम्बन्धी उत्तरदायित्व पर अधिक जोर दिया जाने लगा। समाजवादी, प्रजातांत्रिक तथा सामूहिक सिद्धान्तों के उदय एवं विकास के साथ-साथ धार्मिक भावना से किये जाने वाले कल्याणकारी कार्यों की शक्ति क्षीण होती गई। फिर भी दान या परोपकार के उद्देश्य से कल्याणकारी कार्य किसी न किसी रूप में होते गये और आज भी हो रहे हैं। आधुनिक समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक आज के नागरिक दान-स्वरूप प्रदान की जाने वाली सहायता लेना अपमान-जनक समझते हैं। उनके अनुसार जहाँ वैयक्तिक समानता की

Scanned with CamScanner

प्राप्त होती है, वहाँ अपने से बराबर व्यक्तियों से दान-स्वरूप सहायता लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

2. व्यक्तिवाद के अन्तर्गत समाज-कल्याण (Social welfare Under Individualism.)

व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुसार समाज में अधिकतम कल्याण तभी हो सकता है जब व्यक्ति को अपने उद्देश्यों तथा उनकी प्राप्ति के साधनों के चयन के लिए स्वतन्त्र छोड़ दिया जाय। समाज में निर्धन व्यक्ति भी समुचित प्रयासों द्वारा अपनी निर्धनता दूर कर सकते हैं। अतः इस विचार धारा के अन्तर्गत अपनी दुर्दशा के लिए व्यक्ति-विशेष या उसके परिवार को उत्तरदायी समझा जाता था। जो लोग प्रयासों के बावजूद अपनी निर्धनता नहीं हटा पाते या जो शारीरिक या अन्य कारणों से असमर्थ हैं, उनके लिए समुदाय द्वारा दान की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन इस दायित्व का रूप केवल नैतिक ही होगा। व्यक्तिवाद के अन्तर्गत दीनों की सहायता सम्पत्ति के स्वामियों के पास से उन व्यक्तियों के पास साधनों के हस्तान्तरण के रूप में देखी जाती थी जो दया के पात्र तो थे, लेकिन जिनका इन साधनों पर कोई उचित अधिकार नहीं था। कालान्तर में व्यक्तिवादी विचारधारा के महत्त्व घटते गए और उसकी जगह 'कल्याणकारी राज्य' (welfare state) की संकल्पना अधिक प्रबल होती गई।

3. कल्याणकारी राज्य और समाज कल्याण (welfare state and social welfare).

कल्याणकारी राज्य की विचारधारा के विकास के साथ-साथ समाज कल्याण की अवधारणा में भी परिवर्तन आये। हैरोल्ड विलेन्स्की (Harold L. Wilensky) के अनुसार, कल्याणकारी राज्य के अन्तर्गत "प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक अधिकार-स्वरूप, न कि दान के रूप में, सरकार द्वारा रक्षित न्यूनतम आय, पोषण, स्वास्थ्य, आवास एवं शिक्षा उपलब्ध होती है।" कल्याणकारी राज्य इस मान्यता पर आधारित है कि नागरिकों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नैतिक उत्तरदायित्व न होकर सामाजिक उत्तरदायित्व होता है। साथ ही साथ नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए सामूहिक

प्रयास आवश्यक है। कल्याणकारी राज्य प्रत्येक नागरिक के जीवन-यापन के लिये कम से कम न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने की चेष्टा करता है। जैसे-जैसे राष्ट्र के साधनों में वृद्धि होती है, वैसे-वैसे मानवीय तथा सामाजिक विकास के लिये अधिक व्यय किया जाता है। कल्याणकारी राज्य में मानवीय आधार की जगह विकास कारी पहलू पर अधिक जोर दिया जाता है। औद्योगिक एवं शहरी समाज की जटिलता, आय के वितरण में असमानता से उत्पन्न सामाजिक समस्याओं तथा तकनीकी विकास के लिए मानवीय कुशलता के विकास आदि के प्रति कल्याणकारी राज्य जागरूक रहता है। इस कारण, कल्याणकारी राज्य आय के पुनर्वितरण, मानवीय सेवाओं के विकास तथा सामाजिक वातावरण में सुधार आदि क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से क्रियाशील रहता है। कल्याणकारी राज्य में समाज कल्याण को विस्तृत दृष्टिकोण से देखा जाता है। इसमें दीनों, विकलांगों तथा अन्य असहाय व्यक्तियों को राज्य द्वारा सेवाएँ उपलब्ध तो होती ही हैं साथ ही, अधिक व्यापक रूप में नागरिकों के सामान्य कल्याण को अत्यधिक महत्व दिया जाता है।

4. सामाजिक सुरक्षा पर जोर (Emphasis on Social Security):

जैसा स्पष्ट किया जा चुका है, कल्याणकारी राज्य का स्वरूप अत्यधिक व्यापक है। विभिन्न देशों के आर्थिक विकास के स्तर, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति, जनसंख्या की प्रकृति, तकनीकी प्रगति आदि में विभिन्नताओं के कारण राज्य के क्रियाकलापों, नीतियों तथा कार्य-विधियों में विभिन्नताएँ पायी जाती हैं।

यह सर्व विदित है कि औद्योगिक समाज में दुर्घटना, बीमारी, वृद्धावस्था, बेरोजगारी, प्रसूति तथा अर्जक की मृत्यु आदि से उत्पन्न समस्याएँ अत्यन्त ही जटिल होती हैं। औद्योगीकरण के विकास के साथ-साथ जीवन के इन खतरों से उत्पन्न आर्थिक असुरक्षा व्यापक होती गई। परिवर्तित आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था में इन खतरों के प्रति आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में परिवार एवं पैच्छिक संस्थाएँ असमर्थ हो गई। इन खतरों की व्यापकता तथा उनसे उत्पन्न समस्याओं को देखते हुए, राज्य की ओर से सामाजिक सुरक्षा के अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गये। इनमें दुर्घटना के लिए क्षतिपूर्ति बीमारी की स्थिति में उपचार तथा चिकित्सा, प्रसूति की अवस्था में उपचार एवं अनुदान, वृद्धावस्था के लिए भविष्य-निधि एवं पेंशन, जीविकोपार्जक की मृत्यु की स्थिति में परिवार के

सदस्यों को अनुदान तथा पेंशन, बेरोजगारी के समय अनुदान, स्वास्थ्य-बीमा, तथा निर्धनता की स्थिति में सामाजिक सहायता आदि उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार समाज कल्याण के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उठाए गए कदम सभी देशों में एक समान नहीं सामाजिक सुरक्षा की प्रकृति तथा मात्रा विभिन्न देशों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति एवं सार्वजनिक नीति के अनुसार बदलती रहती है। भारत में भी वृद्धावस्था, दुर्घटना, प्रसूति, जीविकोपार्जक की मृत्यु आदि से उत्पन्न आर्थिक असुरक्षा के प्रति महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं, लेकिन अन्य विकसित देशों की तुलना में ये निम्न स्तर के हैं।

5. समाज कल्याण तथा सामाजिक नियोजन (Social welfare and social planning)

समय के परिवर्तन के साथ अनेक विकसित देशों में समाज कल्याण के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा के स्थान पर सामाजिक नियोजन को अधिक महत्व दिया जाने लगा। सामाजिक नियोजन में सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था से उत्पन्न कुप्रभावों के निवारण तथा सभी व्यक्तियों के विकास के लिए उचित दशाओं के निर्माण, राज्य के क्रिया कलापों के मुख्य तत्व बन गये। इसके अन्तर्गत आय की असमानता में कमी, शोषित वर्गों की रक्षा, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन आदि सेवाओं ~~पर~~ की व्यवस्था पर अधिक जोर दिया जाने लगा। सामाजिक नियोजन में सर्वसाधारण के विकास के लिए सुनिश्चित ध्येय एवं कार्यक्रम के अनुसार कार्य किये जाते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सामाजिक नियोजन पर निरन्तर जोर दिया गया है।

6. कल्याणकारी समाज की ओर (Towards a welfare society):

आज अनेक देशों में 'कल्याणकारी समाज' की स्थापना पर जोर दिया जा रहा है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति का अधिक-से-अधिक विकास ही कल्याणकारी समाज का मुख्य लक्ष्य है। इसमें मानवीय प्रतिष्ठा तथा समुदाय के उत्थान को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। कल्याणकारी समाज में 'कल्याण' ही समाज का निर्दिष्ट लक्ष्य होता है। राज्य के साथ-साथ समाज की सभी संस्थाएँ इस लक्ष्य की प्राप्ति में अपना योगदान देंगी। कल्याणकारी समाज की परिकल्पना के आधार पर आज अन्तर्राष्ट्रीय समाज-कल्याण की भी चर्चा हो रही है।

—— X ——

Scanned with CamScanner